

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

17-सहसपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, ग्राम व पोस्ट- सुद्वोवाला, तहसील, विकासनगर, जिला- देहरादून जो भारतीय जनता पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल द्वारा खड़े किये गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान- देहरादून।

तारीख- 10.03.2022

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग आफिसर

Narain
रिटर्निंग आफिसर
विधान सभा-17-सहसपुर

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand State from 17-Sahaspur Assembly constituency .

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961. I declare that-

Shri SAHDEV SINGH PUNDIR, Address- Vill. & Post- Suddhowala, Tehsil- Vikasnagar, District- Dehradun sponsored by Bhartiya Janta Party Recognized National Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place-Dehradun
Date-10-03-2022

Signature-----
Returning Officer

Naitan
विधान सभा-17-सहसपुर